संख्या-37/2020/602/71-3-2020-कोविड-01/2020

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 02 जून, 2020

विषयः- नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु True NAT-Real Time Quantitive Micro PCR के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/513, दिनांक 28-05-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या/बस्ती/बहराइच/ फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर में कोविड-19 तथा इमरजेन्सी सेवाओं हेतु True NAT-Real Time Quantitive Micro PCR मशीन (04 स्लॉट की सुविधायुक्त) हेतु **रू0 1,07,52,000/- (रू0 एक करोड़ सात लाख बावन हजार मात्र)** एवं किट्स (01 माह हेतु) के क्रय (संलग्नक-ए के अनुसार) हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत रू0 **01,25,29,440/-** (रू0 एक करोड़ पच्चीस लाख उनतीस हजार चार सौ चालीस मात्र) अर्थात् कुल **रू0 2,32,81,440/- (दो करोड़ बत्तीस लाख इक्यासी हजार चार सौ चालीस मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1. नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए ही True NAT-Real Time Quantitive Micro PCR मशीन का क्रय किया जाये। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की विशिष्टियों के निर्धारण एवं आडिट आदि की सभी जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
2. True NAT मशीन के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 तथा सम्बन्धित संस्थान के प्रमुख का होगा।
3. True NAT मशीन (04 स्लॉट की सुविधायुक्त) एवं किट्स (01 माह हेतु) के स्पेक्स एवं गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुए आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व सम्बन्धित चिकित्सा संस्था के प्रमुख का होगा।
4. महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा Molbio Diagnostics Pvt. Ltd फर्म के कोटेशन के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, यदि सम्बन्धित फर्म द्वारा गलत सूचना दी गयी है, तो फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।
5. मशीन के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. मशीन क्रय हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, सम्बन्धित संस्था को यथापेक्षित सहयोग प्रदान कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनॉक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- True NAT-Real Time Quantitive Micro PCR मशीन पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-86-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- मशीन के उपयोगार्थ 01 माह हेतु किट्स के क्रय पर होने वाला व्यय सम्बन्धित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-37/2020/602(1)/71-3-2020 तदद्यदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-37 /2020/602/71-3-2020-कोविड-01/2020, दिनांक 02 जून, 2020 का संलग्नक।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर में कोविड-19 तथा इमरजेन्सी सेवाओं हेतु True NAT-Real Time Quantitive Micro PCR मशीन की सूची (संलग्नक-ए)-

क्रमांक	मेडिकल कालेज का नाम	मात्रा	मूल प्रति नग टैक्स सहित (एक वर्ष वारंटी के साथ	कुल मूल्य	प्रतिदिन किटस की आवश्यकता	मूल्य प्रति नग टैक्स सहित	प्रतिदिन कुल मूल्य	किट्स का प्रति माह कुल मूल्य (रू0 में)
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	01	1344000	1344000	40+2=42	1232	51744	1552320
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	01	1344000	1344000	40+2=42	1232	51744	1552320
3	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	02	1344000	2688000	80+5=85	1232	104720	3141600
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	02	1344000	2688000	80+5=85	1232	104720	3141600
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर	02	1344000	2688000	80+5=85	1232	104720	3141600
	योग-			**10752000**				**12529440**

महायोग- रू0 10752000+12529440=2,32,81,440/-

(रू0 दो करोड़ बत्तीस लाख इक्यासी हजार चार सौ चालीस मात्र)

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

h tp://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।